विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
वरूणालय फेज – 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 226
दिनाक :– **11.08.2017**
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री प्रवीण कुमार, विधायक

क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड में मस्टर रोल के तहत क्या नई भर्ती का प्रावधान है;	दिल्ली जल बोर्ड के संकल्प संख्या 61 (मद संख्या, प्रशासन 118) दिनांक 25.09.2003 के अनुसार मस्टर रोल के तहत नई भर्ती पर पूर्णतया प्रतिबंध है । दिल्ली जल बोर्ड में सीवर साइड में कार्यरत कर्मचारी निरन्तर जहरीली गैसों के सम्पर्क में एवं जल संयंत्रों कार्यरत कर्मचारी कलोरिन गैस युक्त वातावरण में कार्य करने के कारण यहां कर्मचारियों की मृत्यु दर बहुत अधिक है । भारत सरकार की करूणामूलक आधार पर नियुक्ति हेतु नीति में जिन ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान है केवल 5 प्रतिशत ही कोटा ही निर्धारित है । दिल्ली जल बोर्ड में उपरोक्त कारणों के कारण मृतक होने वाले कर्मचारियों की संख्या निर्धारित 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत आने वाले पदों से बहुत अधिक होती है अतः वित्तीय क्षति एवं परिवार के मुखिया की आकास्मिक मृत्यु से होने वाली आपतकालिन स्थिति से आश्रित परिवार की मदद हेतु दिल्ली जल बोर्ड ने केवल करूणामूलक आधार पर जिन ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान है पर मस्टर रोल आधार पर नियुक्ति देने हेतु संतुति प्रदान की है ।
(ख)	यदि हां, तो पिछले 2 वर्ष में कितनी भर्ती की गई;	पिछले 2 वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड में करूणामूलक आधार पर विभिन्न ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों पर 514 मृत कर्मचारियों के आश्रितों की मस्टर रोल पर भर्ती की गई है ।
(ग)	यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है?	लागू नहीं ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

निदेशक (प्र. एवं का.)
Director (A & P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D. J. B., Govt. of NCT of Delhi